website: www.pawanprawah.com
डाक पंजीयन संख्या GPO LW/NP-106/2018-2020
सत्य का प्रवाह सतत् प्रवाह
लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

लेखक डॉ. भरत राज सिंह
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के महानिदेशक
एवं वैदिक विज्ञान केन्द्र के अध्यक्ष हैं

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति व वर्तमान स्थिति

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप नव गठित भारत सरकार 30 मई 2019, शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। निशंक ने आज दिनांक 31 मई 2019 को ही कार्यभार संभाला और जो मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ का अद्धयन किया । जिनका सन्क्षिप्त विवरण पूर्व मे उल्लिखित किया गया था, जिसपर लोगो के विचार लिये जा रहे है, जिनके कुछ अंश दिया जा रहा है।

भाग-17

गतान्क से आगे

व्यवसाय का शीघ्र चयन

19-24 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय कार्यबल में केवल पांच प्रतिशत के पास औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा है, जबकि अमेरिका में यह औसत 52 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 96 प्रतिशत है । नई शिक्षा नीति, 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है । अलग-अलग व्यावसायिक डिग्री प्रदान करने के अलावा, व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। छात्रों को कक्षा 5 से ही व्यावहारिक प्रशिक्षण से परिचित कराया जाएगा । राजपूत कहते हैं, हाथ के हुनर और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने में रुचि पैदा करने के पहले के प्रयास सफल नहीं हुए । यह हमारी स्कूली शिक्षा में एक बड़ी कमी है। वर्तमान प्रस्ताव व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई अलगाव नहीं करता और यह एक नया तथा साहसिक कदम है ।

नरेंद्र मोदी सरकार का पहले से ही चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूती देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे पर जोर है । दीर्घकालिक लक्ष्यों की समीक्षा करने और एक अलग नेशनल कमेटी फॉर द इंटिग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (एनसीआइवीई) की स्थापना की जाएगी ।

सुगम लेकिन चुस्त

नियंत्रण शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी के लिए, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (आरएसए), जिसकी मांग शिक्षाविद् लंबे समय से कर रहे हैं, को स्थापित करने का प्रस्ताव करती है । आरएसए सतत और स्थाई आधार पर देश के शिक्षा दृष्टिकोण को लागू करेगा । प्रधानमंत्री आरएसए के प्रमुख होंगे और मानव संसाधन विकास मंत्री उसके उप-प्रमुख । इसके 50 प्रतिशत सदस्य राजनैतिक संस्थाओं से होंगे, शेष शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग होंगे । राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य शिक्षा आयोग गठित होंगे ।

हालांकि, आरएसए में मजबूत राजनैतिक प्रतिनिधित्व और इसके प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होने के प्रस्ताव के कारण कई विशेषज्ञ इसकी स्वायत्तता को लेकर सशंकित हैं । मेनन कहते हैं, यह सब शिक्षा के अधिक केंद्रीकृत नियंत्रण की ओर इशारा करता है । दशकों से भारतीय स्कूली शिक्षा के साथ यह बड़ी समस्या रही है, जहां सरकारें पारंपरिक रूप से नियामक और प्रशासक रही हैं और नवाचार, गुणवत्ता और उच्च मानकों के प्रति उनका उत्साह नदारद रहा है। भट्टी का कहना है, एनईपी ने मौजूदा व्यवस्था के समानांतर इतने सारे नए ढांचों का सुझाव दिया है । ऐसा लगता है कि समिति ने अतीत के ऐसे प्रयोगों से कोई सबक नहीं लिया है।

एनईपी ने निजी क्षेत्र की शिक्षा को विनियमित करने के प्रति अपनी अस्पष्टता दर्शाई है कि निजी शैक्षणिक उद्यम गैर-लाभकारी उद्देश्यों से प्रेरित होंगे । वह उसकी इस क्षेत्र की अनभिज्ञता का परिचय देती है। हालांकि, सार्वजनिक और निजी स्कूलों दोनों के विनियमन का एक ही मानदंड और बेंचमार्क तय करने के एनईपी के प्रस्ताव का स्वागत भी हुआ है । धवन कहते हैं, हम नीति के विवरणों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन यह कदम सही दिशा में उठाया गया कदम है, खासकर करीब 40 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

क्या देश इसे साकार कर सकता है?

अधिकांश शिक्षाविदों का मानना है कि एनईपी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाली बीमारियों का निदान किया है और विशेष रूप से स्कूली शिक्षा में उपचारात्मक उपायों की पेशकश की है लेकिन असली चुनौती तो इसे धरातल पर उतारने की होगी । देश में नीतिगत उद्देश्यों का समृद्ध इतिहास है, लेकिन इनमें शायद ही किसी उद्देश्यों को कभी धरातल पर उतारकर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हों ।

मेनन कहते हैं, कार्यान्वयन में सबसे कठिन चुनौती अपर्याप्त और खराब बुनियादी संरचना होगी । वर्तमान में क्षमता निर्माण के अलावा जमीन पर काम कर रहे जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और शिक्षकों का सहयोग प्राप्त करने के साथ-साथ उनकी कड़ी निगरानी में समय और संसाधनों के सबसे अधिक निवेश की जरूरत होगी। एनईपी इन चुनौतियों से वाकिफ है और यह स्वीकार करती है कि सावधानीपूर्वक योजना बनाने और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर क्रियान्वयन की रणनीति, व्यावहारिकता पर इसकी सफलता निर्भर करेगी। यह भ्रष्टाचार को शिक्षा व्यवस्था को विकृत करने वाले अहम कारक के रूप में पहचानती है, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई ठोस व्यवस्था प्रदान नहीं करती है।

राजू इन सिफारिशों पर सरकार की ओर से फौरी कार्रवाई चाहते हैं । लेकिन, बनर्जी कहती हैं, कहना आसान हो सकता है, करना नहीं क्योंकि इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न स्तर पर सरकारों, इससे जुड़े हितधारकों और जनता के बीच समन्वित सहयोग की जरूरत होगी । बनर्जी कहती हैं, फाउंडेशन स्टेज के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, महिला और बाल विकास (जो आंगनवाडियों के लिए जिम्मेदार है) और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी । दोनों मंत्रालयों ने अतीत में बहुत करीब से मिलकर काम नहीं किया है।

इसके अलावा, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय ने 1968 की नीति में पहली बार परिकल्पित जीडीपी के 6 प्रतिशत के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं किया है । वर्तमान में एनईपी की गणना के मुताबिक, सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत या सार्वजनिक व्यय का 10 प्रतिशत ही खर्च किया जा रहा है । नीति अगले 10 वर्षों में शिक्षा पर खर्च को बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद रखती है । इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि और जीडीपी-कर-अनुपात में हालिया वृद्धि से वित्तपोषित होने की आशा है ।

कई नीति समीक्षक जीडीपी के प्रतिशत के बजाए सार्वजनिक व्यय के प्रतिशत के रूप में शिक्षा खर्च की गणना के विचार से असहज हैं । सेंटर फॉर बजट ऐंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी की प्रतिभा कुंडु कहती हैं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि उच्च आर्थिक विकास या बढ़ा हुआ कर-जीडीपी अनुपात शिक्षा पर अधिक खर्च को प्रेरित करेगा । अगले 10 वर्षों में शिक्षा बजट को दोगुना करना, अन्य क्षेत्रों पर होने वाले खर्च से समझौता किए बिना संभव नहीं है। समग्र रूप में देखें तो शिक्षा पर खर्च को जीडीपी से पृथक करने से फंड का नुक्सान ही होगा।

धवन मौजूदा बजट को अधिक कुशलता से आवंटित करने के तरीके खोजने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, वित्तीय बाधाओं को देखते हुए, केंद्र को इन व्यापक नीति सिफारिशों के बीच अपनी प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता होगी।

एनईपी रिपोर्ट के मसौदे को अभी समीक्षा के कम से कम दो दौर से गुजरना होगा। 30 जून 2019 तक, आम लोग और संस्थान नीति पर सुझाव भेज सकते हैं; मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब तक लगभग एक लाख सुझाव मिले हैं। केंद्र सरकार 22 जून 2019 से राज्यों के साथ विचार-विमर्श शुरू करेगी । नीति जुलाई के अंत तक कैबिनेट की मंजूरी के लिए जा सकती है । हालांकि कागज पर तो यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तनों की क्षमता दर्शाती है, लेकिन इसकी अग्निपरीक्षा तो इस पर निर्भर करेगी कि धरातल पर यह कैसे उतरती है । पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव अनिल स्वरूप कहते हैं, हमें दरअसल नीति की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि धरातल पर उसे उतारने की स्पष्ट कार्ययोजना की है ।

क्रमशः शेष अगले अंक मे पढ़ें